

जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, ऊधमसिंह नगर

ग्यारहवीं (11वीं) बोर्ड बैठक का कार्यवृत्त

तिथि : 12.07.2021 (दिन सोमवार)
समय : 3:00 बजे अपरान्ह
स्थान : आयुक्त सभागार (प्राधिकरण कार्यालय),
तल्लीताल, नैनीताल।
फोन : 05944- 250152
फैक्स : 05944- 250152

E-mail I.D-udausnagar@gmail.com

आज दिनांक 12 जुलाई, 2021 दिन सोमवार को जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, उधमसिंह नगर की दसवीं बोर्ड बैठक आयुक्त कार्यालय (वीडियो कान्फ्रेंसिंग कक्ष) तल्लीताल, नैनीताल में शैतिक एवं वर्चुवल रूप से सम्पन्न हुई। बैठक में उपस्थिति निम्नानुसार रही:-

1. श्री अरविन्द सिंह ह्यांकी, आयुक्त कुमार्क मण्डल नैनीताल —अध्यक्ष
2. श्रीमती रजना राजगुरु, जिलाधिकारी, उधमसिंह नगर
(वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से) —सदस्य(पदेन)
3. श्री बंशीधर तिवारी, उपाध्यक्ष, जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, उ०सि०नगर
(प्रतिनिधि सचिव आवास विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून) —सदस्य(पदेन)
4. श्री बंशीधर तिवारी, उपाध्यक्ष, जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, उ०सि०नगर —उपाध्यक्ष
5. श्रीमती शिवानी पाण्डेय, मुख्य कोषाधिकारी, उधमसिंह नगर।
(प्रतिनिधि सचिव वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन देहरादून)
(वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से) —सदस्य(पदेन)
6. श्रीमती आकांक्षा वर्मा, नगर आयुक्त, नगर निगम, काशीपुर —सदस्य(पदेन)
7. श्री सरताज सिंह मनहास, सहायक नगर आयुक्त, नगर निगम रुद्रपुर।
(प्रतिनिधि नगर आयुक्त, नगर निगम रुद्रपुर)
8. श्री हरिशंकर सिंह बिष्ट सहयुक्त नियोजक, उत्तराखण्ड देहरादून
(प्रतिनिधि मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक उत्तराखण्ड)। —सदस्य(पदेन)

बैठक के संचालन एवं सहयोग हेतु उपस्थिति:-

1. श्री प्रत्यूष सिंह सचिव, जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण,
उधमसिंह नगर।
2. श्री विजय कुमार माथुर, अधिशासी अभियंता, जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण,
उधमसिंह नगर।
3. श्री हेमन्त सिंह रावत, अवर अभियंता, जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण,
उधमसिंह नगर।

सर्वप्रथम अध्यक्ष द्वारा उपाध्यक्ष एवं सम्मानित सदस्यों का अभिवादन स्वीकार करते हुए प्राधिकरण की ग्यारवीं बोर्ड बैठक प्रारम्भ किये जाने हेतु निर्देशित किया गया। तत्पश्चात् प्रस्तावित बैठक के एजेन्डा बिन्दुओं को क्रमशः प्रस्तुतीकरण प्रारम्भ किया गया। एजेन्डा बिन्दुओं पर निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-

मद संख्या-11.01

दसवीं बोर्ड बैठक की कार्यवाही की पुष्टि।

जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण की दसवीं बोर्ड बैठक दिनांक 06 अप्रैल, 2021 की कार्यवाही इस कार्यालय के पत्र संख्या-439 दिनांक-07.04.2021 द्वारा बोर्ड के सभी सम्मानित सदस्यों को प्रेषित की गयी। प्रेषित कार्यवाही के सम्बन्ध में किसी भी सदस्य से कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं हुयी है। अतः दसवीं बोर्ड बैठक की कार्यवाही की पुष्टि सम्बन्धी प्रस्ताव प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

कार्यवाही :- सर्वसम्मति से विगत बैठक की कार्यवाही की पुष्टि की गयी।

मद संख्या-11.02

दसवीं बोर्ड बैठक में लिये गये निर्णयों पर अनुपालन आख्या।

जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण की दसवीं बोर्ड बैठक में लिये गये निर्णयों पर अनुपालन आख्या अनुलग्नक-1 पर संलग्न है।

कार्यवाही :- दसवीं बोर्ड बैठक के मद संख्या-10.04 के अनुपालन के सम्बन्ध में बोर्ड द्वारा निर्देशित किया गया कि शासन द्वारा प्रख्यापित एक बार समाधान योजना के सम्बन्ध में आमजन को जागरूक करने हेतु व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए तथा जगह-जगह कैम्प का आयोजन करते हुए प्रकरणों के निस्तारण की कार्यवाही की जाए। अवशेष मदों के अनुपालन आख्या की पुष्टि की गयी।

मद संख्या-11.03

मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या-608/2017 " खटीमा में बस स्टैण्ड का यथाशीघ्र निर्माण किया जायेगा" के सम्बन्ध में।

अवगत करना है कि जनपद उधमसिंह नगर के शहर खटीमा में पुराने बस स्टैण्ड जीर्ण-क्षीर्ण होने के कारण बस स्टेशन पर उपलब्ध जर्जर भवनों को परिवहन निगम द्वारा सुरक्षा के दृष्टिकोण से डिसमैन्टल करा दिया गया था। दिनांक 09.10.2020 को सचिव परिवहन उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में हुई बैठक के कार्यवृत्त के बिन्दु संख्या-02 में निर्णय लिया गया कि जनपद उधमसिंह नगर के शहर खटीमा, किच्छा एवं काशीपुर में परिवहन विभाग उपलब्ध भूमि पर प्राधिकरण अपने संसाधनों से बस अड्डे का निर्माण करेगा तथा स्थल पर बस अड्डे हेतु आवश्यक निर्माण कार्यों के साथ-साथ प्राधिकरण वाणिज्यिक गतिविधियों के संचालन हेतु दुकानें/कॉम्प्लेक्स भवन आदि भी निर्मित करेगा। इसके एवज में परिवहन निगम/विभाग, वो भूमि जहाँ वर्तमान में बस अड्डा संचालित किया जा रहा है, को प्राधिकरण को व्यवसायिक निर्माण हेतु निःशुल्क प्रदान कर दी जायेगी।

नवीन बस अड्डे हेतु ग्राम कुम्राहा तहसील खटीमा के प्लॉट संख्या-40, 41/2 एवं 53/2 में 1.014 है० अर्थात् 2.40 एकड़ भूमि उत्तराखण्ड परिवहन विभाग को राजस्व विभाग द्वारा हस्तान्तरित की गई है। राजस्व विभाग द्वारा स्थल पर चिह्नित की गयी भूमि का सर्वे कराते हुए प्राधिकरण में इम्पैनल्ड आर्किटेक्ट से प्रस्तावित बस अड्डे की ड्राईंग व डिजाईन तथा प्राथमिक आंगणन तैयार कराया गया है। प्रस्तावित बस अड्डे के ड्राईंग व डिजाईन का प्रस्तुतीकरण बोर्ड के समक्ष किया जा रहा है। आंगणन के अनुसार बस अड्डे के निर्माण में ₹० 8.00 करोड़ का व्यय होना सम्भावित है।

खटीमा स्थित पुराने बस अड्डे की 0.33 एकड़ भूमि को निःशुल्क प्राधिकरण को उपलब्ध कराये जाने हेतु जिलाधिकारी महोदय को पत्र प्रेषित किया गया है। पुराने बस अड्डे की भूमि पर प्राधिकरण द्वारा पार्किंग कम व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जाएगा। पुराने बस अड्डे की भूमि पर पार्किंग कम व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स की ड्राईंग, डिजाईन व प्राथमिक आंगणन तैयार कराया गया है। आंगणन के अनुसार व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स की लागत ₹० 8.80 करोड़ आना सम्भावित है। परिवहन विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जा रही पुराने बस अड्डे की भूमि का मूल्य तथा नवीन बस अड्डे के निर्माण लागत के मूल्य के अन्तर की प्रतिपूर्ति व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स के निर्माण

के विक्रय से की जाएगी। विस्तृत वित्तीय विवरण बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। अतः माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या-808/2017 "खटीमा में बस स्टैंड का यथाशीघ्र निर्माण किया जायेगा" के उपरोक्तानुसार क्रियान्वयन का प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के संज्ञानार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

कार्यवाही: बोर्ड के समक्ष पुराने खटीमा बस अड्डे की भूमि पर प्रस्तावित पार्किंग कम व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स एवं ग्राम-ग्राम्याह तहसील खटीमा जनपद-उधमसिंह नगर में परिवहन विभाग को उपलब्ध कराई गई भूमि पर प्रस्तावित नवीन बस अड्डे के निर्माण की ड्राईंग, डिजाइन का प्रस्तुतीकरण किया गया तथा दोनों परियोजनाओं का व्ययानुमान भी प्रस्तुत किया गया। नवीन बस अड्डे पर लगभग ₹0 8.00 करोड़ का व्यय सम्भावित है तथा आर्किटेक्ट द्वारा पुराने बस अड्डे पर निर्मित होने वाले व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स पर ₹0 9.84 करोड़ का व्यय होना अनुमानित किया है तथा उसकी बिक्री से लगभग ₹0 15.54 करोड़ की आमदनी प्राधिकरण को होगी। इस प्रकार प्राधिकरण के द्वारा किए जाने वाले व्यय तथा होने वाली आय में ₹0 2.30 करोड़ का नुकसान हो रहा है। अतः निर्णय लिया गया कि चूंकि उक्त परियोजना मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा से सम्बंधित है। उक्त धनराशि की मांग शासन को प्रेषित की जाए एवं मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा के क्रियान्वयन हेतु अग्रिम कार्यवाही की जाए। आर्किटेक्ट द्वारा प्रस्तुत ड्राईंग, डिजाइन तथा आंकलन को कार्यवृत्त का भाग बनाया गया। प्रस्तुतीकरण के दौरान बोर्ड द्वारा दोनों परियोजनाओं में कतिपय संशोधनों यथा- पुरुष एवं महिला शौचालयों को पृथक-पृथक किए जाने एवं प्रस्तावित बस अड्डे पर एक्सक्लेटर का प्राविधान भी किए जाने के निर्देश के साथ स्वीकृति प्रदान कर परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु अग्रतः कार्यवाही किए जाने का निर्णय लिया गया।

मद संख्या-11.04

मा0 मुख्यमंत्री जी की "घोषणा संख्या-106/2019 किच्छा में नया बस अड्डा बनाया जायेगा" के सम्बंध में।

अवगत कराना है कि जनपद उधमसिंह नगर के शहर किच्छा में नये बस टर्मिनल के निर्माण के सम्बंध में दिनांक 09.10.2020 को सचिव परिवहन उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में हुई बैठक के कार्यवृत्त के बिन्दु संख्या-02 में निर्णय लिया गया कि जनपद उधमसिंह नगर के शहर खटीमा/किच्छा एवं काशीपुर में परिवहन विभाग की उपलब्ध भूमि पर प्राधिकरण अपने संशोधनों से बस अड्डे का निर्माण करेगा तथा स्थल पर बस अड्डे हेतु आवश्यक निर्माण कार्यों के साथ-साथ प्राधिकरण वाणिज्यिक गतिविधियों के संचालन हेतु दुकानें/कॉम्प्लेक्स भवन आदि भी निर्मित करेगा। इसके एवज में परिवहन निगम/विभाग, वो भूमि जहाँ वर्तमान में बस अड्डा संचालित किया जा रहा है, को प्राधिकरण को व्यवसायिक निर्माण हेतु प्रदान कर दी जायेगी।

वर्तमान में किच्छा नगर के बीचों-बीच उत्तरप्रदेश सिंचाई विभाग की 0.346 है0 भूमि पर नगर पालिका के माध्यम से बनाये गये अस्थायी बस अड्डे से बसों का संचालन हो रहा है। यद्यपि उत्तरप्रदेश एवं उत्तराखण्ड राज्य आस्तियों एवं दायित्वों के विभाजन के सम्बंध में दिनांक 28.08.2018 को सम्पन्न बैठक में जनपद उधमसिंह नगर के किच्छा नगर में स्थित उत्तरप्रदेश सिंचाई विभाग की 0.346 है0 भूमि को उत्तराखण्ड राज्य को देने पर उत्तरप्रदेश सिंचाई विभाग द्वारा सहमति प्रदान की जा चुकी है, जिसके कम में सिंचाई विभाग की 0.346 है0 विषयगत भूमि को सिंचाई विभाग उत्तरप्रदेश शासन से सिंचाई विभाग उत्तराखण्ड शासन के नाम प्राप्त करते हुए परिवहन विभाग उत्तराखण्ड शासन को हस्तान्तरित किये जाने की कार्यवाही गतिशील है। निगम स्तर के अधिकारियों की 20.02.2020 को जिलाधिकारी उधमसिंह नगर से वार्ता के दौरान इस बात पर विचार हुआ कि वर्तमान किच्छा शहर में उपलब्ध 0.346 है0 भूमि जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, उधमसिंह नगर को प्रदान कर दी जाए तथा किच्छा की नई भूमि पर जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, उधमसिंह नगर स्तर से बस स्टेशन का निर्माण करा दिया जाए। सचिव, परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड शासन की बैठक के कार्यवृत्त दिनांक-09.10.2020 एवं मुख्य सचिव महोदय की बैठक दिनांक-28.01.2021 के कार्यवृत्त अनुसार नए बस अड्डों के निर्माण के एवज में वर्तमान में संचालित बस अड्डों की भूमियों को सम्बंधित जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण को व्यवसायिक उपयोग हेतु उपलब्ध करा दी जाएगी।

नवीन बस अड्डे हेतु खुरमिया फार्म की 80.63 एकड़ भूमि की प्लानिंग के अन्तर्गत विभिन्न सरकारी विभागों को आवंटित की जाने वाली भूमि के अन्तर्गत उत्तराखण्ड रोडवेज के लिये 3.50 एकड़ भूमि आवंटित किये जाने का प्राविधान किया गया है, जिसके सम्पेक्ष जिलाधिकारी उधमसिंह नगर को द्वारा ग्राम बण्डिया तहसील किच्छा के खसरा संख्या-8/1 मि0 रकबा-3.50 एकड़ भूमि उत्तराखण्ड परिवहन विभाग को निःशुल्क आवंटित की जा चुकी है।

तत्काल में राजस्व विभाग द्वारा स्थल पर चिन्हित की गयी भूमि का सर्वे कराते हुए प्राधिकरण में इम्प्लैन्ट आर्किटेक्चर से प्रस्तावित बस अड्डे की ड्राईंग, डिजाइन व प्राथमिक आंगणन तैयार कराया गया है। प्रस्तावित बस अड्डे के ड्राईंग व डिजाइन का प्रस्तुतीकरण किया जा रहा है। आंगणन के अनुसार बस अड्डे के निर्माण में ₹0.11.94 करोड़ का व्यय होना सम्भावित है।

किच्छा स्थित पुराने बस अड्डे की 0.76 एकड़ भूमि निःशुल्क उपलब्ध होने पर प्राधिकरण द्वारा पार्किंग कम कमर्शियल कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जाएगा। पुराने बस अड्डे की भूमि पर पार्किंग कम व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स की ड्राईंग, डिजाइन व प्राथमिक आंगणन तैयार कराया गया है। आंगणन के अनुसार व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स की लागत ₹0.25.00 करोड़ आना सम्भावित है। परिवहन विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जा रही पुराने बस अड्डे की भूमि का मूल्य तथा नवीन बस अड्डे के निर्माण लागत के मूल्य के अन्तर की प्रतिपूर्ति व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स के निर्माण के विक्रय से की जाएगी। विस्तृत वित्तीय विवरण बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

अतः माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या-108/2019 "किच्छा में नया बस अड्डा बनाया जायेगा" के उपरोक्तानुसार कियान्वयन का प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के संज्ञानार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

कार्यवाही:-बोर्ड के समक्ष पुराने किच्छा बस अड्डे की भूमि पर प्रस्तावित पार्किंग कम व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स एवं ग्राम बण्डिया तहसील किच्छा जनपद-उधमसिंह नगर में परिवहन विभाग को उपलब्ध कराई गई भूमि पर प्रस्तावित नवीन बस अड्डे के निर्माण की ड्राईंग, डिजाइन का प्रस्तुतीकरण किया गया तथा दोनों परियोजनाओं का व्ययानुमान भी प्रस्तुत किया गया। नवीन बस अड्डे पर लगभग ₹0.11.49 करोड़ का व्यय सम्भावित है तथा आर्किटेक्चर द्वारा पुराने बस अड्डे पर निर्मित होने वाले व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स पर ₹0.25.15 करोड़ का व्यय होना अनुमानित किया है तथा उसकी बिक्री से लगभग ₹0.47.90 करोड़ की आमदनी प्राधिकरण को होगी। इस प्रकार प्राधिकरण के द्वारा किए जाने वाले व्यय तथा होने वाली आय में ₹0.11.28 करोड़ का फायदा हो रहा है। अतः आर्किटेक्चर द्वारा प्रस्तुत ड्राईंग, डिजाइन तथा आकलन को कार्यवृत्त का भाग बनाया गया। प्रस्तुतीकरण के दौरान बोर्ड द्वारा दोनों परियोजनाओं में कतिपय संशोधनों यथा- पुरुष एवं महिला शौचालयों को पृथक-पृथक किए जाने एवं प्रस्तावित बस अड्डे पर एक्सक्लेटर तथा वाटर डिस्पेंसर आदि का प्राविधान भी किए जाने एवं उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की पुराने बस अड्डे की भूमि को उपलब्ध कराए जाने सम्बंध में शासन स्तर से कार्यवाही पूर्ण किए जाने के निर्देश सहित स्वीकृति प्रदान कर परियोजनाओं के कियान्वयन हेतु अग्रेत्तर कार्यवाही किए जाने का निर्णय लिया गया।

सद संख्या-11.05

रूद्रपुर शहर से लगी हुई ए0एन0झा इन्टर कालेज रूद्रपुर के पीछे की ओर स्थित ग्राम फाजलपुर महारौला तहसील रूद्रपुर की भूमि पर यातायात नगर परियोजना के निर्माण किये जाने के सम्बंध में।

अवगत कराना है कि रूद्रपुर शहर से लगी हुई ए0एन0झा इन्टर कालेज रूद्रपुर के पीछे की ओर स्थित ग्राम फाजलपुर महारौला तहसील रूद्रपुर की श्रेणी-04 की भूमि रकबा-15.3837 है0 (38 एकड़) भूमि को सचिव(प्रमासी), राजस्व अनुभाग-02, उत्तरखण्ड शासन के पत्र संख्या-1005 दिनांक 20.11.2020 के द्वारा यातायात नगर की स्थापना हेतु जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, उधमसिंह नगर के पक्ष में कतिपय शर्तों के साथ भूमि के कुल मूल्य ₹0.23.08/12,500/- (रुपये तेईस करोड़ आठ लाख बारह हजार पाँच सौ) के भुगतान के आधार पर पट्टे पर आवंटित करने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। तत्काल में जिलाधिकारी उधमसिंह नगर के कार्यालय आदेश संख्या-4489 दिनांक 15.01.2021 के अनुसार ग्राम फाजलपुर महारौला के खाता संख्या-812 के खसरा संख्या-11मि0, 13, 14, 16मि0 व 17मि0 में स्थित कुल रकबा-15.3837 है0 (38 एकड़) भूमि कीमत ₹0.23.08/12,500/- का भुगतान एक मुश्त राजस्व सरकार के पक्ष में जमा किये जाने के साथ आदेश में उल्लेखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन सशुल्क जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, उधमसिंह नगर के नाम हस्तान्तरित की गयी है।

राजस्व विभाग द्वारा प्रश्नगत भूमि का स्थल पर चिन्हांकन किये जाने के पश्चात् भूमि का सर्वे कराया गया। सर्वे उपरान्त चिन्हांकित भूमि का क्षेत्रफल 48.88 एकड़ पाया गया जबकि जिलाधिकारी द्वारा 38 एकड़ भूमि के हस्तान्तरण आदेश पारित किये गये हैं। सर्वे उपरान्त चिन्हित अतिरिक्त 8.88 एकड़ भूमि सहित कुल-46.88

एकड़ भूमि को प्राधिकरण को निःशुल्क उपलब्ध कराए जाने हेतु सचिव, आवास उत्तराखण्ड शासन देहरादून को इस कार्यालय के पत्र संख्या-506 दिनांक 19.06.2021 द्वारा अनुरोध किया गया है। मा० मुख्यमंत्री जी की समीक्षा बैठक दिनांक-18.06.2021 को उक्त भूमि को प्राधिकरण को निःशुल्क उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। तत्कम में प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया जा चुका है।

स्थल पर किये गये सर्वे के आधार पर प्राधिकरण में इम्पैनल्ड आर्किटेक्ट से प्रस्तावित यातायात नगर की ड्राईंग, डिजाइन व प्राथमिक आगणन तैयार कराया गया है। आगणन के अनुसार यातायात नगर के विकास कार्य में ₹ 50.00 करोड़ का व्यय आना सम्भावित है। प्रस्तावित यातायात नगर के ड्राईंग व डिजाइन का प्रस्तुतीकरण बोर्ड के समक्ष किया जा रहा है।

अतः यातायात नगर परियोजना हेतु हस्तान्तरित भूमि निःशुल्क प्राधिकरण को उपलब्ध हो जाने के फलस्वरूप माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अनुपालन में रुद्रपुर में यातायात नगर परियोजना के क्रियान्वयन का प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के संज्ञानार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

कार्यवाही :-बोर्ड के समक्ष रुद्रपुर शहर से लगी हुई ए०एन०आ इन्टर कौलेज रुद्रपुर के पीछे की ओर स्थित ग्राम फाजलपुर महरीला तहसील रुद्रपुर जिला-उधमसिंह नगर में यातायात नगर हेतु उपलब्ध कराई गई भूमि पर प्रस्तावित यातायातनगर परियोजना के निर्माण एवं विकास कार्य की ड्राईंग, डिजाइन का प्रस्तुतीकरण किया गया तथा परियोजना का व्ययानुमान भी प्रस्तुत किया गया। प्रस्तावित यातायात नगर परियोजना के निर्माण/विकास कार्य पर लगभग ₹ 51.12 करोड़ का व्यय सम्भावित है तथा उसकी बिक्री से लगभग ₹ 273.85 करोड़ की आय होना सम्भावित है। इस प्रकार प्राधिकरण के द्वारा किए जाने वाले व्यय तथा होने वाली आय में लगभग ₹ 222.73 करोड़ का फायदा हो रहा है। आर्किटेक्ट द्वारा प्रस्तुत ड्राईंग, डिजाइन तथा आंकलन को कार्यवृत्त का भाग बनाया गया। प्रस्तुतीकरण के दौरान बोर्ड द्वारा परियोजना में कतिपय संशोधनों जिसमें ले-आउट अन्तर्गत मार्ग की चौड़ाईयों को यथा सम्भव अधिक रखने जैसे यथा आवश्यकता 30 मी० के स्थान पर 40 मी., 18 मी० को 24 मी०, 15 मी० को 18 मी०, 12 मी. को 15 मी. तथा 09 मी० को 12 मी० किया जाना उचित रहेगा। इसके अतिरिक्त इन संशोधनों के साथ परियोजना के वित्तीय व्यवहारिकता (Financial Feasibility) को भी ध्यान में रखा जाए। निर्देश के साथ स्वीकृति प्रदान करते हुए परियोजना के क्रियान्वयन हेतु अग्रेत्तर कार्यवाही किए जाने का निर्णय लिया गया।

पत्र संख्या-11.06

प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत एफ०सी०आई० गोदाम के सामने, रुद्रपुर जिला उधमसिंह नगर में 1872 ई०डब्लू०एस० भवनों के निर्माण के सम्बंध में।

रुद्रपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत एफ०सी०आई० गोदाम के सामने 1872 ई०डब्लू०एस० भवनों का निर्माण उडा देहरादून द्वारा किये जाने की प्रक्रिया गतिमान थी। उक्त परियोजना को वर्तमान में उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण देहरादून द्वारा अपने कार्यालय पत्र संख्या-709/पत्र-183/2017-18 दिनांक 30.10.2019 के माध्यम से जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण उधमसिंह नगर को अग्रतः कार्यवाही हेतु अन्तरित की गयी है जो कि इस कार्यालय में दिनांक 22.11.2019 को प्राप्त है। प्रश्नगत परियोजना में ई०डब्लू०एस० भवनों के निर्माण हेतु कार्यदायी संस्था M/sWAPCOS Ltd. द्वारा Monolithic Construction तकनीक से परियोजना की डी०पी०आर० तैयार की गयी थी।

उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण, देहरादून के कार्यालय पत्रांक-2169/उडा-173/20 दिनांक 25.02.2021 द्वारा अवगत कराया गया है कि उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण एवं M/sWAPCOS Ltd. के मध्य दिनांक 04.11.2016 में निष्पादित अनुबंध को अनुबंध की समाप्ति तिथि दि० 03.11.2019 के उपरान्त 02 वर्षों हेतु अर्थात् 03.11.2021 के लिये विस्तारित करते हुये एम०ओ०यू० हस्ताक्षरित किया गया है। एम०ओ०यू० की प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करते हुए रुद्रपुर आवासीय योजना पर यथाशीघ्र कार्यवाही किये जाने का उल्लेख किया गया है। तत्कम में कार्यदायी संस्था M/sWAPCOS Ltd. को प्रश्नगत परियोजना पर अग्रेत्तर कार्यदायी किये जाने हेतु परियोजना से सम्बंधित ड्राईंग, डिजाइन का बोर्ड के समक्ष प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। प्रस्तुतीकरण के कम में अवगत कराना है कि 1872 ई०डब्लू०एस० भवनों के निर्माणों हेतु डी०पी०आर० पूर्व में ही उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण, देहरादून द्वारा स्वीकृत करते हुए अपने आदेश संख्या-709 दिनांक 30.10.2019 द्वारा निर्माण कार्य हेतु जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण उधमसिंह नगर को

अधिकृत किया गया है। प्रश्नगत परियोजना की पूर्व स्वीकृत डी0पी0आर0 के आधार पर अनुमानित निर्माण लागत ₹0 1,16,48,07,845.00/- है। प्रस्तुत परियोजना में निर्मित किए जाने वाले 1872 ई0डब्लू0एस0 भवनों के निर्माण में एक भवन की कुल निर्माण लागत ₹0 7.28 लाख आती है। शासनादेश के अनुसार ई0डब्लू0एस0 भवनों के लाभार्थियों को ₹0 8.00 लाख की कीमत पर भवन उपलब्ध कराया जाना है। अतिरिक्त लागत ₹0 1.28 लाख की प्रतिपूर्ति परियोजना के मुख्य मार्ग की ओर विद्यमान भूमि पर व्यवसायिक निर्माण के विक्रय से की जाएगी। विस्तृत वित्तीय विवरण बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। व्यवसायिक कॉम्प्लैक्स और जिला विकास प्राधिकरण के कार्यालय का निर्माण प्राधिकरण अपने स्तर से निविदा की कार्यवाही कर किया जाना सुनिश्चित करे।

अतः परियोजना निर्माण हेतु बोर्ड के समक्ष दिये गये प्रस्तुतीकरण के क्रम में परियोजना की निर्माण लागत की प्रतिपूर्ति हेतु अवशेष भूमि पर व्यवसायिक निर्माण किए जाने का प्रस्ताव एवं कार्यदायी संस्था M/s/WAPCOS Ltd. को अनुबंध के अनुसार टेंडर प्रक्रिया पूर्ण कर निर्माण कार्य प्रारम्भ करने की अनुमति हेतु प्रस्ताव बोर्ड के संज्ञानार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

कार्यवाही :- बोर्ड के समक्ष प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत एफ0सी0 आई0 गोदाम के सामने, रुद्रपुर जिला उधमसिंह नगर में 1872 ई0डब्लू0एस0 भवनों के निर्माण की परियोजना का प्रस्तुतीकरण किया गया तथा परियोजना के व्ययनुमान को भी प्रस्तुत किया गया। शासनादेश के अनुसार ई0डब्लू0एस0 के लाभार्थियों को ₹0 8.00 लाख में भवन उपलब्ध कराया जाना है। 1872 ई0डब्लू0एस0 भवनों के लिए ₹0 3.50 लाख के आधार पर लाभार्थियों से ₹0 65.52 करोड़ तथा सब्सिडी के रूप में भारत सरकार से ₹0 1.50 लाख प्रति यूनिट के आधार पर ₹0 28.08 करोड़ तथा राज्य सरकार से ₹0 1.00 लाख प्रति यूनिट के आधार पर 18.72 करोड़ प्राप्त होना है। 1872 भवनों के निर्माण में आने वाली लागत ₹0 116.48 करोड़ के सापेक्ष प्रति यूनिट के मूल्य में हो रही वृद्धि को व्यवसायिक निर्माण से प्रतिपूर्ति की जानी है। बोर्ड को अवगत कराया गया कि परियोजना के अग्रभाग में अवशेष भूमि पर प्राधिकरण कार्यालय एवं व्यवसायिक कॉम्प्लैक्स का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। निर्माण लागत के मूल्य के अन्तर की प्रतिपूर्ति परियोजना के अग्रभाग में प्राधिकरण द्वारा निर्मित किए जाने वाले व्यवसायिक निर्माण के विक्रय से की जाएगी, जिसका अनुमोदन किया जाता है। मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक के प्रतिनिधि द्वारा बोर्ड को अवगत कराया गया कि वर्तमान में प्रचलित महायोजना के अनुसार प्रश्नगत स्थल का भू-उपयोग "बस अड्डा" भू-उपयोग अन्तर्गत है। साथ ही उनके द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि आगामी नयी महायोजना तैयार की जा रही है जिसमें उक्त प्रस्ताव को सम्मिलित किया जा सकता है। बोर्ड द्वारा आगामी नयी महायोजना में प्रस्तावना अनुसार भू-उपयोग प्रस्तावित करने हेतु निर्देशित किया गया। समयक विचारोपरान्त बोर्ड द्वारा प्रस्तुत परियोजना के सम्बंध में उपरोक्त समस्त प्रस्तावों पर स्वीकृति प्रदान करते हुए प्राधिकरण को उक्त के निर्माण हेतु निविदा आमंत्रित कर निर्माण प्रारम्भ किये जाने का निर्णय लिया गया।

सद संख्या-41.07

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त ग्राम-बण्डिया, तहसील किच्छा (ई0डब्लू0एस0) आवासीय परियोजना (उत्तराखण्ड आवास एवं विकास योजना) के निर्माण हेतु भू-उपयोग परिवर्तन के सम्बंध में।

कृपया अवगत कराना है कि मै0 टून प्राईस एसोसिएशन प्रा0लि0 के डायरेक्टर द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त ग्राम बण्डिया, किच्छा आवासीय परियोजना के निर्माण हेतु भू-उपयोग परिवर्तन किये जाने के लिये आवेदन पत्र तथा आवेदन शुल्क एवं उक्त प्रस्ताव से सम्बंधित अमिलेखों की छायाप्रति प्रस्तुत करते हुए भू-उपयोग परिवर्तन की कार्यवाही किए जाने हेतु अनुरोध पत्र दिनांक 07.11.2020 को प्रस्तुत किया गया है।

अवगत कराना है कि प्रस्तुत परियोजना ग्राम बण्डिया तहसील किच्छा, जिला उधमसिंह नगर के चक संख्या-48अ, 48ब के खसरा नं0-302, 303/2, 304, 305, 306 के रकबा-2.4804 हैक्टेयर में Affordable Housing प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत 984 ई0डब्लू0एस0 भवनों के निर्माण हेतु है। प्रस्तुत जोत चकबन्दी

«7»

आकार पत्र-23 भाग-2 के अनुसार प्रश्नगत सम्पत्ति श्री त्रिलोक सिंह पुत्र श्री गुरदत्त सिंह, श्रीमती कुलदीप कौर पत्नी स्व० जसपाल सिंह, श्रीमती प्रीतम कौर पत्नी स्व० श्री गुरदत्त सिंह के नाम दर्ज अभिलेख है तथा मै० दून प्राईम एसोसिएशन प्रा० लि० एवं भू-स्वामियों के मध्य प्रश्नगत परियोजना को विकसित किये जाने के सम्बंध में हुए अनुबन्ध की प्रति प्रस्तुत की गयी है। उक्त अनुबन्ध मात्र नोटरी द्वारा ही प्रमाणित है।

स्थल बरेली-नैनीताल रोड के एक ओर विद्यमान रेलवे लाईन को पार करने के पश्चात् स्थित है। प्रस्तुत तलपट्ट मानचित्र की छायाप्रति के साईटप्लान में दर्शित प्रश्नगत भू-खण्ड हेतु 9.00 मी० चौड़ा मार्ग रेलवे लाईन के साथ दर्शित किया गया जबकि उक्त मार्ग लगभग 4.00 से 5.00 मी० चौड़ा है। यह मार्ग रेलवे की भूमि में निर्मित है। प्रस्तुत सजरा प्लान के अनुसार प्रश्नगत स्थल रेलवे की सीमा से लगा हुआ है। उपरोक्तानुसार वर्तमान में प्रश्नगत परियोजना हेतु 9.00 मी० चौड़ा मार्ग विद्यमान नहीं पाया गया। प्रश्नगत स्थल के एक ओर चकमार्ग विद्यमान है। प्रश्नगत स्थल के आस-पास अन्य भवन निर्मित हैं। सहयुक्त नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, हल्द्वानी द्वारा अपने पत्र दिनांक-27.03.2021 द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्तावित स्थल किच्छा महायोजना में निर्धारित सीमा से बाहर स्थित है। प्रश्नगत भूमि हेतु मानकों के अनुसार मार्ग की चौड़ाई उपलब्ध न होने के कारण भू-उपयोग परिवर्तन के प्रस्ताव को दिनांक-05.04.2021 में निरस्त कर दिया गया था। जिसकी सूचना आवेदक एवं शासन को कार्यालय पत्रांक-840 दिनांक-08.04.2021 द्वारा प्रेषित की गई। तदोपसन्त उत्तरखण्ड आवास एवं विकास परिषद् देहसदून के कार्यालय पत्रांक-256 दिनांक-03.05.2021 द्वारा प्रश्नगत प्रकरण के सम्बंध में परियोजना स्थल का संशोधित मानचित्र एवं सम्बंधित भू-स्वामी द्वारा किए गये अनुबन्ध की प्रति उनके कार्यालय को प्रेषित किए जाने के कम में भू-उपयोग परिवर्तन सम्बंधी कार्यवाही किए जाने हेतु प्राधिकरण को पत्र प्रेषित किया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के ए०एच०पी० घटक के अन्तर्गत अपर मुख्य प्रशासक द्वारा दिनांक-22.06.2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की गई समीक्षा बैठक में निर्देशित किया गया कि रेलवे विभाग द्वारा अनापत्ति दिए जाने के प्रतिबन्धों के तहत कार्यवाही की जाए एवं मार्ग की चौड़ाई में शिथिलता का प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया जाए। साथ ही यह भी निर्देशित किया गया कि आवेदक से इस आशय का शपथ पत्र भी प्राप्त किया जाए कि रेलवे विभाग द्वारा परियोजना स्थल तक पहुँच मार्ग के सम्बंध में यदि कोई आपत्ति की जाती है, तो उसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की होगी। तत्कम में आवेदक द्वारा अपने पत्र दिनांक-28.06.2021 के साथ वर्णित शर्त के सम्बंध में शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। अवगत कराना है कि मुख्य मार्ग से परियोजना के मध्य एक मार्ग जो कि वर्तमान में लगभग 8.00 मी० चौड़ा है तथा रेलवे की सीमा के अन्दर स्थित है एवं सार्वजनिक रूप से प्रयोग किया जा रहा है तथा मुख्य मार्ग एवं परियोजना के मध्य एक रेलवे फाटक भी स्थित है। रेलवे विभाग की अनापत्ति प्राप्त किए जाने हेतु आवेदक को निर्देशित किया गया है।

चूंकि प्रश्नगत स्थल तक पहुँच मार्ग की चौड़ाई मानकों के अनुसार न्यूनतम 9.00 मी० होना आवश्यक है जबकि परियोजना स्थल के सम्मुख मार्ग की चौड़ाई 8.00 मी० है। अतः प्रश्नगत परियोजना हेतु मानकों के अनुसार मार्ग की चौड़ाई में शिथिलता हेतु मुख्य नगर नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की आख्या प्राप्त करते हुए शासन को प्रेषित किए जाने का प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

कार्यवाही :- बोर्ड द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार-विमर्श किया गया। चूंकि प्रश्नगत परियोजना हेतु पहुँच मार्ग रेलवे की सीमा अन्तर्गत है तथा पहुँच मार्ग की चौड़ाई मानकों के अनुसार भी नहीं है। रेलवे विभाग की अनापत्ति प्राप्त हो जाने के पश्चात् ही मार्ग की चौड़ाई में शिथिलता का प्रस्ताव शासन को प्रेषित किए जाने का निर्णय लिया गया।

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त ग्राम-मानपुर, तह0 काशीपुर (ई0डब्लू0एस0) आवासीय परियोजना (उत्तराखण्ड आवास एवं विकास योजना) के निर्माण हेतु भू-उपयोग परिवर्तन के सम्बंध में।

कृपया अवगत कराना है कि मै0 श्री हरि इन्फ्राजॉन प्रा0लि0 द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त ग्राम मानपुर-काशीपुर (ई0डब्लू0एस0) आवासीय परियोजना के निर्माण हेतु भू-उपयोग परिवर्तन किये जाने के लिये आवेदन पत्र तथा आवेदन शुल्क एवं उक्त प्रस्ताव से सम्बंधित अभिलेखों की छायाप्रति प्रस्तुत करते हुए भू-उपयोग परिवर्तन की कार्यवाही किए जाने हेतु अनुरोध पत्र दिनांक 09.10.2020 को प्रस्तुत किया गया है।

अवगत कराना है कि प्रस्तुत परियोजना ग्राम मानपुर तह0 काशीपुर, जिला उधमसिंह नगर के खाता संख्या-00142 के खसरा संख्या-280 एवं 281जिनका कुल रकबा-1.214 हैक्टेयर में Affordable Housing प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत 512 ई0डब्लू0एस0 भवनों के निर्माण हेतु है। प्रस्तुत उद्घरण खतौनी के अनुसार प्रश्नगत सम्पत्ति श्री तरसेम सिंह पुत्र श्री पवित्र सिंह एवं श्रीमती राजेन्द्र कौर पत्नी श्री पवित्र सिंह के नाम दर्ज अभिलेख है तथा मै0 श्री हरि इन्फ्राजॉन प्रा0लि0 एवं भू-स्वामियों के मध्य प्रश्नगत परियोजना को विकसित किये जाने के सम्बंध में हुए अनुबन्ध की प्रति प्रस्तुत की गयी है। उक्त अनुबन्ध मात्र नोटरी द्वारा ही प्रमाणित है।

स्थल श्री हरि इन्क्लेव के नाम से अविकसित कालौनी के पीछे की ओर मानपुर रोड पर स्थित है तथा मानपुर रोड से प्रस्तावित स्थल हेतु इस अविकसित कालौनी के मुख्य सड़क से पहुँच मार्ग विद्यमान है। प्रस्तुत तलपट मानचित्र की छायाप्रति के साईटप्लान में स्थल हेतु 9.00 मी0 चौड़ी पहुँच मार्ग श्री हरि इन्क्लेव की मुख्य सड़क को ही दिखाया गया है जबकि स्थल पर मार्ग की चौड़ाई लगभग 7.30मी0 (24 फिट) परिलक्षित होने के फलस्वरूप तथा प्रस्तुत प्रस्ताव में कतिप्रय आपत्तियों के निराकरण हेतु आवेदक को क्षेत्रीय कार्यालय काशीपुर के पत्रांक-84 दिनांक-30.12.2020 द्वारा पत्र प्रेषित किया गया। सूचित आपत्तियों का निराकरण न किए जाने एवं परियोजना हेतु अपेक्षित 9.00 मी0 चौड़ा पहुँच मार्ग उपलब्ध न होने के कारण परियोजना के भू-उपयोग परिवर्तन प्रस्ताव को दिनांक-07.04.2021 को निरस्त कर दिया गया, जिसकी सूचना आवेदक एवं शासन को कार्यालय पत्रांक-441 दिनांक-08.04.2021 द्वारा प्रेषित की गई। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के ए0एच0पी0 घटक के अन्तर्गत अपर मुख्य प्रशासक द्वारा दिनांक-22.06.2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की गई समीक्षा बैठक में निर्देशित किया गया कि मार्ग की चौड़ाई में शिथिलता का प्रस्ताव नियमानुसार शासन को प्रेषित किया जाए।

चूँकि प्रश्नगत स्थल तक पहुँच मार्ग की चौड़ाई मानकों के अनुसार न्यूनतम 9.00 मी0 होना आवश्यक है जबकि परियोजना स्थल के सम्मुख मार्ग की चौड़ाई 7.30 मी0 है। अतः प्रश्नगत परियोजना हेतु मानकों के अनुसार मार्ग की चौड़ाई में शिथिलता हेतु मुख्य नगर नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की आख्या प्राप्त करते हुए शासन को प्रेषित किए जाने का प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

कार्यवाही :- प्रस्तुत प्रस्ताव पर समयक विचारोपरान्त बोर्ड द्वारा निर्णय लिया गया कि शासनादेश अनुसार मार्ग की चौड़ाई के मानक में शिथिलता का प्रस्ताव मुख्य एवं ग्राम नियोजक के अभिमत/संस्तुति प्राप्त करते हुए शासन को प्रेषित किया जाए।

उपस्थित,
जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण,
उधमसिंह नगर।

आयुक्त कुमार मण्डल जैनीताल/
अध्यक्ष जि0स्त0वि0प्रा0,
उधमसिंह नगर।